

प्रेस विज्ञाप्ति
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, सी विंग, 59 अरेंज हिल्स भोपाल
प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन

क्रमांक / 3434 / मनरेगा / मीडिया / एनआर-2 / स्थापना / 2010

भोपाल, दिनांक 07 / 04 / 10

बारहमासी ग्राम सङ्क योजना की क्रियान्वयन इकाइयों में परियोजना प्रबंधक एवं सहायक परियोजना प्रबंधक के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की जाना है। इस हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. एवं अन्य शासकीय तकनीकी विभागों में कार्यरत सहायक यंत्रियों/उपयंत्रियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र	पदनाम	पद संख्या	नियुक्ति का प्रकार	वेतनमान	अर्हता
1	परियोजना प्रबंधक	14	प्रतिनियुक्ति	रूपये 15600—39100 + ग्रेडपे रूपये 6600	ग्रा.यां.सेवा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा प्रदेश के अन्य शासकीय तकनीकी विभागों/उपक्रमों में तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से पदस्थ सहायक यंत्री। मार्ग निर्माण के क्षेत्र में अनुभवी को प्राथमिकता।
2	सहायक परियोजना प्रबंधक	103 (42 पद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हेतु, 51 पद कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.से. के कार्यालय हेतु एवं 10 पद अधीक्षण यंत्री मण्डल कार्यालय हेतु	प्रतिनियुक्ति	रूपये 15600—39100 + ग्रेडपे रूपये 5400	ग्रा.यां.सेवा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा प्रदेश के अन्य शासकीय तकनीकी विभागों/उपक्रमों में उपयंत्री के पद पर पदस्थ (सिविल इंजीनियरिंग) डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी। डिग्रीधारी हेतु कम से कम आठ वर्ष अथवा डिप्लोमाधारी हेतु कम से कम बारह वर्ष का अनुभव प्राप्त। मार्ग निर्माण के क्षेत्र में अनुभवी को प्राथमिकता।

1. आवेदनकर्ता का आवेदन विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर “संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मुख्यालय, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, सी-विंग 59— अरेंज हिल्स, भोपाल – 462011 को प्रेषित किया जावेगा। आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी समस्त जानकारी आवेदन के साथ संलग्न कर भेजे।
2. पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिषद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। सम्पूर्ण आवेदन निरस्त किया जा सकता है अथवा पद की विज्ञाप्ति को भी निरस्त किया जा सकता है।
3. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट राजगढ़, सतना, सिवनी, उमरिया, पन्ना, दमोह, बालाघाट, सागर, विदिशा, जबलपुर, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा एवं नरसिंहपुर में स्थापित की गई है।
4. अन्य विभाग के चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. इन्टरनेट पर उपलब्ध आवेदन पत्र प्ररूप ही मान्य होगा। आवेदन पत्र एवं प्रतिनियुक्ति की शर्तें परिषद की बेवसाईट www.nregs-mp.org पर उपलब्ध है।

Application form for the post of Project Manager/ Assistant Project Manager

Name of applicant :

Father's name :

Date of birth :

(Enclose Certificate)

Present Post :

Parent department :

Name and designation of competent

Authority to provide NOC :

Category (Please Tick) **General/ OBC/ SC/ ST**

i Service history :-

- 1- Date of first posting :
- 2- Designation of first posting :
- 3- Home District :
- 4- Present post :
- 5- Date of joining at present post :
- 6- Basic pay/pay-band (Rs.) :
- 7- Present pay scale (Rs.) :
- 8- Total length of service as on 1-1-2010 (In year) :
- 9- Length of service as AE (In year) :
- 10- Length of service as Sub Engineer (In year) :
- 11- Total service in field work as on 1-1-2010 (In year) :

ii NOC of Department :

iii Educational Qualification :- (Enclose self attested certificates)

iv Post Graduate / Graduate Degree / Diploma / Other qualification (mention)

v % of marks obtained in Civil Engineering Graduation/ Diploma : Marks

vi Details of service :-

From	To	Designation	Details of work done	Place of posting: Department/Field

vii **Experience of Road construction works, which have been supervised by you and would like to mention:-**

Designation	Period from - to	Details of work executed	Approx. cost of executed works in Rs Lakhs

viii- **Present place of posting & Designation** :

:

ix- **Present address, Telephone, Mobile no.** :

:

:

x- **Permanent address** :

:

:

Telephone no.:

xi – **Mention name of any 03 district**

for Preference of Posting

1-

2-

3-

(Except Home District)

Declaration

I hereby declare that neither any Departmental enquiry /EOW case or Lokayukt enquiry is pending against me nor any major penalty was ever imposed on me. I also declare that court case of any nature is not pending against me. Information given by me is true to the best of my knowledge & belief. My selection may be cancelled and suitable action may be taken, if information furnished by me is found incorrect.

Signature of applicant:

Name of applicant:

Date :

Place :

प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, सी विंग, 59 अरेसा हिल्स भोपाल
संशोधन सूचना

क्रमांक / / मनरेगा / मीडिया / एनआर-2 / स्थापना / 2010

भोपाल, दिनांक / 04 / 10

बारहमासी ग्राम सङ्क योजना की क्रियान्वयन इकाइयों में परियोजना प्रबंधक एवं सहायक परियोजना प्रबंधक के पदों पर प्रतिनियुक्ति से संबंधित विज्ञापन क्रमांक 3434 / मनरेगा / मीडिया / एनआर-2 / स्थापना / 2010 भोपाल दिनांक 07.04.2010 द्वारा प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन के सरल क्रमांक 1 के अहता कॉलम में अंकित “सहायक यंत्री” शब्द के स्थान पर “सहायक यंत्री (सिविल)” पढ़ा जावे। विज्ञापन में सरल क्रमांक 01 एवं 02 में दर्शाई गई अहताएँ न्यूनतम हैं। इससे वरिष्ठ पद अथवा उच्च वेतनमान वाले अन्यर्थी भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

प्रतिनियुक्ति की शर्तें :—

1. प्रतिनियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी शर्तें निर्देशानुसार लागू होंगी।
2. प्रतिनियुक्ति पर कार्य ग्रहण करने के पूर्व संबंधित को अपने मूल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ज्ञापन क्र. 11/19/02/नियम/चार दिनांक 27 नवम्बर, 2002 में दिए गए निर्देशानुसार वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे, जो अपने पैतृक विभाग में प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होंगी।
4. कार्यभार ग्रहण करते समय जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पदस्थ कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन उपरोक्त पद के प्रारंभिक मूल वेतन से कम न हो।
5. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध लोकायुक्त/राज्य आर्थिक अपराध व्यूरो/विभाग द्वारा अनुशांसित किसी भी प्रकार की कोई जांच प्रचलन में नहीं है। इस संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर आदेश निरस्त किया जा सकेगा।